

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, स्वयं के आधार कार्ड से खाता संख्या 218 वाके रेला तहसील कठूमर में रमेश पुत्र श्री लच्छीराम के स्थान पर रमाकान्त शर्मा पुत्र श्री लच्छीराम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 218 वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर में रमेश पुत्र श्री लच्छीराम के स्थान पर रमाकान्त शर्मा पुत्र श्री लच्छीराम दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)